भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–87/2017–18

	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि **04.11.2017**को रखें। अभिलेख **04.11.2017** को उपस्थापित करें । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
04.11.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि **24.11.2017** को रखें। अभिलेख **24.11.2017** को उपस्थापित करें । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
24.11.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 967 दिनांक 24.11.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **लाल मोहन महतो,** पिता**स्व0 नील मोहन महतो,** ग्राम–**श्यामरायडीह,** जाति–**कुर्मी,** पोस्ट–**चक्रधरपुर,** थाना–**चक्रधरपुर,** जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**चक्रधरपुर नगरपालिका वार्ड नं0–06,** खाता नं०–68, प्लॉट नं०–116, रकवा–**0.03 ए0,** क्रेता **मनोज कुमार प्रमाणिक,** पिता–**रघुनाथ प्रमाणिक,**जाति–**नाई,**ग्राम–**कोलचकरा,** पोस्ट–**चक्रधरपुर,** थाना–**चक्रधरपुर,** जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **लाल मोहन महतो,** पिता **स्व0 निल मोहन महतो** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास **3,00,000/– (तीन लाख)** रुपये में बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना–**चक्रधरपुर** के निवासी है। विक्रेता **"कुर्मी"** एवं क्रेता **"नाई"** दोनों **(अ.पि.वर्ग.)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा–**3.00 ए0** भूमिअवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **मनोज कुमार प्रमाणिक,** पिता–**रघुनाथ प्रमाणिक,** ग्राम–**कोलचकड़ा,** पोस्ट–**चक्रधरपुर,** थाना–**चक्रधरपुर,** जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की **स्वीकृति** दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 24.11.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	